



Helpline

1064



94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- बारां में पुलिस थाना अटरु का हैड कानिस्टेबल एवं दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफतार

जयपुर, 08 जून, शनिवार/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट, कोटा इकाई द्वारा आज बारां में कार्यवाही करते हुये जितेन्द्र सिंह हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना अटरु, जिला बारां एवं उसके दलाल सुनील शर्मा उर्फ बिट्टू निवासी अटरु (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफतार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट, कोटा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके भाई के विरुद्ध दर्ज प्रकरण में पुलिस रिमांड नहीं लेने और न्यायालय में जल्दी चालान पेश करने की एवज में आरोपी जितेन्द्र सिंह हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना अटरु, जिला बारां द्वारा उसके दलाल सुनील शर्मा उर्फ बिट्टू निवासी अटरु (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से 10 हजार रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी कोटा के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कल्याणमल मीणा के सुपरवीजन में एसीबी की स्पेशल यूनिट, कोटा इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मुकुल शर्मा के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के बारां में कार्यवाही करते हुए आरोपी जितेन्द्र सिंह हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना अटरु, जिला बारां एवं उसके दलाल सुनील शर्मा उर्फ बिट्टू निवासी अटरु (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफतार किया गया है।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की हैल्पलाइन नं. 1064 एवं WhatsApp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।